न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 40/2022 बउनवानी महेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर निवासी बडागांव कहार, पोस्ट भाडोती तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2022/70 **On line N0- 321685260820126**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.01.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

मलारना डूँगर के ग्राम पंचायत बडागांव कहार के ख0न0 1448 नया, पुराना 769 के संबंध मे निम्नांकित जानकारी चाहिए।

1. उक्त ख0न0 का पिछला सेटलमेंट कब हुआ था।
2. इसमे जो खसरा परिवर्तन हुआ है वो किस के आदेश पर हुआ है
3. जो खसरा परिवर्तन हुआ है उसकी नकल दी जावे।
4. जो खसरा नम्बर 769 एक गैर मुमकिन बाडा था जो अब एक पगडंडी रास्ता कर दिया है वो किस आदेश पर किया गया संबंधित अधिकारी का नाम ओर पद की जानकारी देवे।
5. इसमे जो नम्बर बने है उनका मिलान क्षेत्रफल बताए किस नम्बर से कितना रकबा लिया गया है सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित प्रति चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के जवाब नोटिस क्रमांक/पत्रांक/एल.आर/22/2201 दिनांक 25.4.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,2,3,5 की सूचना जरिये पत्रांक 419 दिनांक 9.2.2022 से भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4 के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.01.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना य[illegible]त्मक है किन्तु फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1,2,3,5 की सूचना [illegible] उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:19:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर